बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

संकल्प

संचिका संख्या : 11/वि1–08/2013 (अंश–2).......... पटना, दिनांक 2017

विषय :– पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अन्तर्गत नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयध्यक्षों को पुनरीक्षित वेतन देने के संबंध में।

विभागीय संकल्प संख्या 1530 दिनांक 11.08.2015 के द्वारा दिनांक 01.07.2015 के प्रभाव से पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अन्तर्गत नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयध्यक्षों के लिए नया वेतनमान स्वीकृत किया गया था। इसके तहत इस कोटि के शिक्षक एवं पुस्तकालयध्यक्षों को निम्न प्रकार से वेतनमान एवं ग्रेड– पे देय है :–

1.1 प्रारंभिक शिक्षक

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड–पे
1	2	3	4
1.	प्राथमिक शिक्षक (अप्रशिक्षित)	5200–20,200	0
2.	प्राथमिक शिक्षक (प्रशिक्षित)	5200–20,200	2000
3.	प्राथमिक शिक्षक (स्नातक ग्रेड अप्रशिक्षित)	5200–20,200	0
4.	प्राथमिक शिक्षक (स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित)	5200–20,200	2400

1.2 माध्यमिक शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड–पे
1	2	3	4
1	माध्यमिक शिक्षक (अप्रशिक्षित)	5200–20,200	0
2.	माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित)	5200–20,200	2400
3.	पुस्तकालयाध्यक्ष	5200–20,200	2400
4.	उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (अप्रशिक्षित)	5200–20,200	0
5.	उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (प्रशिक्षित)	5200–20,200	2800

2. उक्त संकल्प के तहत प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालयध्यक्षों को समय–समय पर घोषित मँहगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं देय वार्षिक वेतनवृद्धि देय है।

3. (i) राज्य सरकार द्वारा नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयध्यक्षों के सेवा शर्त्त के निर्धारण के लिए गठित समिति ने दिनांक 15.05.2017 को अपनी बैठक में नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयध्यक्षों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा की थी।

(ii) उक्त स्वीकृति के आलोक में पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अन्तर्गत नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयध्यक्षों को पुनरीक्षित वेतन देने की अनुशंसा निम्न पे–मैट्रिक्स के अनुरूप मूल वेतन का निर्धारण होगा :–

वेतनमान्	5200—20,200			
Grade Pay	0	2000	2400	2800
Entry Pay	**5200**	**7200**	**7600**	**8000**
Level	1	2	3	4
Index	2.57	2.57	2.57	2.57
1	13370	18510	19540	20560
2	13780	19070	20130	21180
3	14200	19650	20740	21820
4	14630	20240	21370	22480
5	15070	20850	22020	23160
6	15530	21480	22690	23860
7	16000	22130	23380	24580
8	16480	22790	24090	25320
9	16980	23480	24820	26080
10	17490	24190	25570	26870
11	18020	24920	26340	27680
12	18570	25670	27140	28510
13	19130	26450	27960	29370
14	19710	27250	28800	30260
15	20310	28070	29670	31170
16	20920	28920	30570	32110
17	21550	29790	31490	33080
18	22200	30690	32440	34080

(iii) संबंधित शिक्षक एवं पुस्तकालयध्यक्ष को 01 जनवरी 2016 को देय मूल वेतन (ग्रेड पे सहित) में 2.57 से गुणा कर जो राशि आएगा, उसे उपर्युक्त पे—मैट्रिक्स के सापेक्ष समान अथवा ठीक उपर के लेवेल के अनुसार 01 जनवरी 2016 से वैचारिक (Notional) रूप से निर्धारित करते हुए 01 अप्रैल, 2017 से वित्तीय लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अंकनीय है कि उक्त वेतनमान में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के कर्मियों को भी 2.57 गुणक के आधार पर वेतन निर्धारण किया गया है।

(iv) जहाँ तक भत्ता का प्रश्न है, तो प्रस्ताव है कि 01 अप्रैल, 2017 को 04% प्रतिशत की दर से मँहगाई भत्ता स्वीकृत किया जा सकता है। साथ ही, पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अन्तर्गत नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयध्यक्षों को जनवरी, 2017 में जितनी राशि मकान किराया भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता में देय था, उसे तत्काल यथावत् रखा जायेगा।

(v) पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अन्तर्गत नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयध्यक्षों को उक्त संशोधित वेतनमान् का वैचारिक लाभ (नोशनल लाभ) दिनांक 01. 01.2016 से एवं वित्तीय लाभ 01.04.2017 से दिया जायेगा।

(vi) विभागीय संकल्प संख्या 1530 दिनांक 11.08.2015 के तहत उक्त कोटि के शिक्षकों को पूर्व में स्वीकृत वैयक्तिक वेतन एवं विशेष भत्ता पूर्व के दर (राशि) से यथावत् देय होगा।

4. पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अन्तर्गत नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयध्यक्षों को पुनरीक्षित वेतन देने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. संकल्प पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

6. इस पर बिहार सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

7. संकल्प के किसी बिन्दु पर विभेद होने की स्थिति में एतद् संबंधी पूर्व निर्गत मूल आदेशों/परिपत्रों आदि का अवलोकन किया जा सकता है अथवा आवश्यकतानुसार वित्त विभाग से सम्पर्क कर स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सकता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(उपेन्द्र नारायण महतो)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक : 11/वि1–08/2013.(अंश–2)....1632.... पटना, दिनांक 21.6.17

2017 प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय गजट के साधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस संकल्प की 100 प्रतियाँ इस विभाग को भेजने की कृपा करें।

ह०/–

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक : 11/वि1–08/2013.(अंश–2) 1632 पटना, दिनांक 21/6/ 2017

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक प्राथमिक शिक्षा/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद्/राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/सभी नगर आयुक्त/सभी कार्यपालक पदाधिकारी/ सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकरी (स्थापना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी नियोजन इकाईयों को अविलम्ब सूचित करा दें।

21.6.17

सरकार के उप सचिव।

रश्मि

ज्ञापांक 2509 बिहारशरीफ, दिनांक 4/7/17

प्रतिलिपि:– जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि पत्र के आलोक में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

20/6/17

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
(स्थापना, नालंदा)

E:\Sankalp 14-15\Sankalp (Niyojit Teacher) Sava Shrat 2017-18.doc3